इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी

फुरसतगंज एअरफील्ड

रायबरेली (भारत)

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अनुभाग 4(1) (बी) के अंतर्गत इग्रुआ से संबंधित सूचना

मैनुअल – vii

अकादमी की नीति निर्धारण अथवा कार्यान्वयन हेतु जनता से परामर्श अथवा अभ्यावेदन हेतु विद्यमान व्यवस्था का विवरण

अकादमी मेमोरण्डम आफ एसोसिएशन मे उपलब्ध प्रावधानों के अंतर्गत अकादमी का नीति निर्धारण किया गया है और निदेशक द्वारा इसका कार्यनन्यन किया जाता है।

जन सुविधाओं के बारे मे जहां तक अकादमी का सम्बंध है, विभिन्न पाठ्यक्रमों के अधिष्ठापन के क्षेत्र में ही आम जनता का समावेश है। विभिन्न पाठ्यक्रमों की चयन प्रक्रिया पूर्ण पार्दर्शी है। तथापि, प्रशिक्षुओं के चयन/प्रतिष्ठापन प्रक्रिया में जहां कहीं भी सुधार आवश्यक है, और संसद के सदनों में इस पर चर्चा की जाती है तो उपयुक्त नियम/उपविधियां बनाकर अभिनीति की जाती हैं।

अकादमी के क्रियाकलापों पर संसद की सलाहार समिति द्वारा नजर रखी जाती है, जनता के प्रतिनिधि एवम अकादमी गतिविधियों से सम्बंधित जनता के सुझाव एवम सिफारिशों का स्थापित प्रक्रिया के अनुसार निपटारा किया जाता है।

नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधीन अपनी तरह का एक मात्र संस्थान होने के नाते, इग्रुआ की गतिविधियों पर प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और संसद द्वारा करीब से निगरानी की जाती हैं। इस प्रकार इसके कामकाज का आलोचानात्मक मूल्यांकन किया जाता है जिससे कि आम जनता मे इसकी अच्छी छवि और ख्याति बनाई रखी जा सके।

अत: अकादमी की नीतियां एवम गतिविधियां उपरोक्त प्रक्रिया के मध्यम से जनता द्वारा संवीकक्षा हेतु उपलब्ध है।